दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

कार्यालय का पता : दुकान नं. 2-3, सी-4, डी.डी.ए., मार्किट, प्रथम तल, लोरेन्स रोड, केशवपुरम, दिल्ली-35

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com Website : ....

अध्यक्ष / प्रधान
शिवकुमार गर्ग
मो. 9212567435
ई-मेल skg7435@gmail.com

महासचिव
सीताराम
मो. 9312238830
ई-मेल ....

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
: जगदीश प्रसाद शर्मा
मो. : 9810406015
ई-मेल : ....

उपाध्यक्ष
: लोकेश अग्रवाल (नई दिल्ली)
मो. : 9811153175
ई-मेल : ....

अंकुर गोयल (ईस्ट)
मो. 9560128537
ई-मेल ....

के.पी.त्यागी (नोर्थ ईस्ट)
मो. 9910173582
ई-मेल ....

: रमेश गर्ग (सेन्टर)
मो. : 9211608223
ई-मेल : ....

: प्रेम चन्द सिंघला (वैस्ट)
मो. : 9212526640
ई-मेल : ....

: श्याम सुन्दर गोयल (नोर्थ वैस्ट)
मो. : 9311170848
ई-मेल : ....

: विनोद मलिक (साउथ वैस्ट)
मो. : 9810678574
ई-मेल : ....

: अशोक जिन्दल (साउथ)
मो. : 9810316311
ई-मेल : ....

सचिव
: बी.एम. गुप्ता
मो. : 9311385566

: भिखारी लाल
मो. : 9278203088

: कुन्ज बिहारी बंसल
मो. : 9810630303

कैशियर
: प्रेम कुमार गोयल
मो. : 9213745545

क्रमांक संख्या : DSRDS/2015/11

दिनांक 10-03-2015

"प्रकाशनार्थ हेतु प्रेस विज्ञप्ति"

सर्वजन को ज्ञात हो कि दिल्ली में, दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली के उचित दर दुकानदारों को अंधेरे में रखकर राशन वितरण कराने के लिए बंधवा मजदूरों की तरह कार्य करने के लिए बाध्य किया जा रहा है। दिल्ली के उचित दर दुकानदारों ने अपनी आजीविका को सुरक्षित करने के लिए समस्त लोकतांत्रिक रास्तों को अपनाकर जैसे कि धरने, प्रर्दशन एवं कई बार लिखित प्रस्ताव भी दिल्ली सरकार तथा भारत सरकार के संबंधित विभाग तथा मंत्रालय को दिया गया लेकिन 1 सितंबर 2013 जबसे दिल्ली में खाद्य सुरक्षा कानून लागू हुआ है तबसे ही संबंधित विभाग एवं मंत्रालय के स्तर पर हमारी पूंजि को सुरक्षित रखने तथा आजीविका के प्रति कोई ऐसी ठोस नीति का निर्माण नहीं किया गया। जिससे हमें अपनी पूंजि को सुरक्षित रखने के साथ साथ हम अपनी दुकानों के एवं अपने परिवार के खर्चों की पूर्ति कर सकें। जिससे मजबूर होकर दिल्ली के समस्त उचित दर दुकानदारों ने दिल्ली सरकारी राशन डीलरर्स संघ (DSRDS) के बैनर तले पूंजि के अभाव में अप्रैल माह के राशन को लेने हेतु अग्रिम ड्राफ्ट / चैक मार्च माह में जमा न कराने का निर्ण लिया गया है। इस संबंध में दिल्ली के गरीब परिवारों को होने वाली सुविधा के लिए (DSRDS) क्षमा प्रार्थी है। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के लगभग 15 प्रतिशत दुकानदार जोकि कालाबाजारी में लिप्त या विभागीय मिलीभगत से ठेकेदारी प्रथा पर या लाईसेंस की खरीद

दिल्ली सरकारी राशन डीलर्स संघ - दिल्ली प्रदेश

कार्यालय का पता : दुकान नं. 2-3, सी-4, डी.डी.ए., मार्केट, प्रथम तल, लॉरेन्स रोड, केशवपुरम, दिल्ली-35

E-mail : dsrdsdelhi@gmail.com Website : ....

अध्यक्ष/प्रधान
शिवकुमार गर्ग
मो. 9212567435
ई मेल skg7435@gmail.com

महासचिव
सीताराम
मो. 9312238830
ई मेल ....

वरिष्ठ उपाध्यक्ष
जगदीश प्रसाद शर्मा
मो. 9810406015
ई मेल ....

उपाध्यक्ष
लोकेश अग्रवाल (नई दिल्ली)
मो. 9811153175
ई मेल ....

अंकुर गोयल (ईस्ट)
मो. 9560128537
ई मेल ....

के.पी.त्यागी (नोर्थ ईस्ट)
मो. 9910173582
ई मेल ....

रमेश गर्ग (सेन्टर)
मो. 9211608223
ई मेल ....

प्रेम चन्द सिंघला (वेस्ट)
मो. 9212526640
ई मेल ....

श्याम सुन्दर गोयल (नोर्थ वेस्ट)
मो. 9311170848
ई मेल ....

विनोद मलिक (साउथ वेस्ट)
मो. 9810678574
ई मेल ....

अशोक जिन्दल (साउथ)
मो. 9810316311
ई मेल ....

सचिव
बी.एम. गुप्ता
मो. 9311385566

भिखारी लाल
मो. 9278203088

कुंज बिहारी बंसल
मो. 9810630303

कैशियर
प्रेम कुमार गोयल
मो. 9213745545

क्रमांक संख्या : DSRDS/2015/11 दिनांक 10-03-2015

फरोक्त कर उचित दर दुकानें चला रहे हैं। उन्हीं लोगों ने अप्रैल माह के लिए राशन लेने हेतु आज (Axis) बैंक में अग्रिम ड्राफ्ट जमा करवाए हैं। गौरतलब है कि दिल्ली में राशन की लगभग 2400 दुकानें कार्यरत् हैं इन दुकानदारों को अप्रैल 2014 से फरवरी 2015 तक (11 महीनों) का कमिशन/मार्जन मनी का भुगतान विभाग द्वारा नहीं किया गया है। जिस कारण पिछले माह फरवरी में दिल्ली के लगभग 50 दुकानदारों ने मार्च महीने के लिए अग्रिम पैसा नहीं जमा करवा सके। परिणामस्वरूप विभाग ने मार्च महीने के अग्रिम ड्राफ्ट फरवरी में न जमा कराने के कारण दिल्ली की 32 दुकानदारों को निरस्त कर दिया गया। दिल्ली के राशन डीलर्स की तमाम परेशानियों के संदर्भ में दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ ने दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल से दिनांक 27 फरवरी को और खाद्य मंत्री श्री असीम अहमद खान से 2 मार्च को मुलाकात की। लेकिन कोई समाधान नहीं मिला। दिल्ली सरकारी राशन डीलर संघ के अध्यक्ष श्री शिव कुमार गर्ग का कहना है कि विभाग व दिल्ली सरकार की तानाशाही नीतियों के कारण उपरोक्त 32 दुकानदारों के विरोध में सर्व सहमति से यह फैसला लिया गया कि अप्रैल के लिए दिल्ली के 2400 दुकानदार अप्रैल का राशन नहीं लेंगे न ही कोई ड्राफ्ट जमा करेंगे चूंकि अप्रैल के अग्रिम ड्राफ्ट जमा कराने की अंतिम तिथि आज दिनांक 10 मार्च विभाग द्वारा निर्धारित है। बावजूद इसके दिल्ली के 2400 दुकानदारों में से सिर्फ 350 दुकानदारों ने ही अप्रैल का ड्राफ्ट जमा करवाया।

10/03/2015
SHIV KUMAR GARG
(PRESIDENT-DSRDS)
Mob. No. 9212567435